जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 19.02.2024

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए भ्रामक सूचना फैलाने के संबंध में 01 अभियुक्त व बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 04.01.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार,*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज,*** पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन मे अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** द्वारा थाना स्थानीय के ग्राम दरियाबाद में डाका डालने के संबंध में फैला रहे भ्रामक सूचना के दृष्टिगत दिनांक 04.01.2024 को 01 अभियुक्त इम्तियाज़ पुत्र इश्तियाक निवासी दरियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर व किशोर बाल अपचारी निवासीगण दरियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0स0 11/ 2024 धारा 465 / 505 / 507 / 467 /471 भादवि0 व 66 आईटी एक्ट मे दिनांक 04.01.2024 को मा0 सर्वोच्य न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण -

1. विनय कुमार उर्फ सेनपाल पुत्र सिनहा निवासी ग्राम बारीडिहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर, हा0मु0 ग्राम सिरसी थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर |
2.शशि कपूर पुत्र रामचेत निवासी ग्राम रजनौली थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर।
3.संजय कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी नगवा भगवान थाना गोला जनपद गोरखपुर।
4.रामभगत पुत्र पूर्णणासी निवासी नगवा भगवान थाना गोला जनपद गोरखपुर |
5.संजय कुमार यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी मालीवारी बरदहा थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।

अभियुक्तो से पछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ से पाया गया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद अन्तर्गत दिनांक 7.02.2024 को प्रथम पाली में संचालित आरक्षी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी शशि कपूर अनुक्रमांक 207471 के स्थान पर परीक्षा दे रहे प्रशान्त कुमार उर्फ सिंकू पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी जोनी थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास, बिहार के विरुद्ध गन्ना विकास इण्टर कालेज के केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्त प्रशान्त कुमार उर्फ सिंकू उपरोक्त से पूछताछ एवं जाँच से पाया गया कि सेनपाल उर्फ विनय कुमार पुत्र सिनहा उपरोक्त अपने गैंग के घनश्याम कुमार निवासी ग्राम जोनी थाना विक्रमगंज जनपद रोहतास, बिहार के माध्यम से शशि कपूर के स्थान पर परीक्षा देने प्रशान्त कुमार उर्फ सिंक् को बुलाया गया था। अभियुक्त विनय कुमार उर्फ सेनपाल का परिचय घनश्याम कुमार करीब 08 वर्ष पूर्व बहराइच में हुआ था जहां पर दोनो एक साथ रहते थे। विनय कुमार उर्फ सेनपाल इससे

पूर्व वर्ष 207-208 में उ0नि0 ना0पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा में घनश्याम कुमार के माध्यम से ही दूसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा में सम्मिलित हुआ। जिसमें पकड़े जाने पर जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट से जेल जा चुका है | यह निरंतर घनश्याम कुमार के सम्पर्क में रहा। वर्तमान में संचालित परीक्षा में शशि कपूर पुत्र चेतराम उपरोक्त जो विनय कुमार उर्फ सेनपाल का मित्र है को पास कराने हेतु हर कुमार से बात की गयी। घनश्याम कमार द्वारा शशि कपूर के स्थान पर प्रशान्त कुमार उर्फ सिंकू को परीक्षा दिलाने हेतु 50,000/र0 (पचास हजार रूपये) पर बात तय हुई। इनके द्वारा इसी के क्रम में शशि केंपूर के नाम पते का कुटरचित आधार कार्ड जिसपर प्रशान्त की फोटो लगाकर तैयार करायी गयी तथा फर्जी आधार कार्ड और मूल प्रवेश पत्र के साथ दिनांक

7.02.2024 को प्रशान्त कुमार को परीक्षा केन्द्र गन्ना विकास इण्टर कालेज पर ले जाकर परीक्षा हेतु बैठाया गया। उक्त प्रकरण की जाँच के क्रम में पाया गया कि घनश्याम कुमार के सम्पर्क मेंविनय कुमार उर्फ सेनपाल के अतिरिक्त अन्य कई रिक्त अन्य कई लोग सम्मिलित है | इनमें से संजय कुमार पुत्र राजन, रामभगत पुत्र पूर्णमासी एवं संजय यादव पुत्र रामप्यारे यादव उपरोक्त भी सम्मिलित है। इन लोगो के द्वारा भी व्हाट्सअप चैट के माध्यम से अभ्यर्थीयो के प्रवेश पत्र प्राप्त कर उन्हे परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जाने के नाम पर धोखा-धड़ी कर धनराशि प्राप्त की गयी | इनके मोबाईल के व्हाट्सअप चैट से हाथ से लिखी हुई कथित उत्तर कुंजी अभ्यर्थीयो के प्रवेश पत्र आदि बरामद हुये। इनके द्वारा व्हाट्सअप चैट के माध्यम से अभ्यर्थियों को भर्ती कराने/प्रश्न पत्र उपलब्ध कराये जाने के आश्वासन भी दिये गये है। यह लोग भी घनश्याम कुमार उपरोक्त के माध्यम से उक्त प्रश्न पत्र प्राप्त किये है। प्रकरण में जाँच से यह भी पाया गया कि रामभगत पुत्र पूर्णणासी उपरोक्त इससे पूर्व वर्ष 208 में जनपद गोरखपुर के थाना बेलघाट से आरक्षी भुर्ती परीक्षा में गिरफ्तार कर जेल जा चुका है। इसका भी पूर्व आपराधिक इतिहास है। इनके कब्जे से पूछताछ के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है *कब्जे से बरामद वस्तु का विवरण -*

1.अभियुक्त प्रशान्त कुमार उर्फ सिंक् की मोबाईल फोन, अभियुक्त सेनपाल उर्फ विनय के कब्जे से बरामद हुई।

2. कुल 05 अदद मोबाइल फोन।

3.अभ्यर्थियो के कुल 29 अदद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

4. 10 अदद प्रवेश पत्र।

5. पैन कार्ड।

6.आधार कार्ड।

जनपद – संतकबीरनगर ***प्रेस विज्ञप्ति*** ***दिनाँक 19.02.2024***

आज दिनांक 19.02.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 39 वाहनों से 36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.02.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 39 वाहनों से 36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 19.02.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में अन्तर्राज्यीय साल्वर को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से फर्जी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, फोटो और ओ0एम0आर0 की छाया प्रति, प्रश्न पत्र की छाया प्रति बरामद

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में अन्तर्राज्यीय साल्वर को फर्जी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, फोटो और ओ0एम0आर0 की छाया प्रति, प्रश्न पत्र की छाया प्रति के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.02.2024 को आवेदिका श्रीमती रीना तिवारी परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य सत्य ब्रत शर्मा जनक दुलारी इण्टर कालेज भूजैनी – संत कबीर नगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद में लिखित तहरीर दी गयी कि उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा द्वितीय पाली की परीक्षा में गन्ना विकास इण्टर कालेज खलीलाबाद में संजय कुमार पुत्र रामाशंकर ग्राम भरपुरवा पड़रिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर रो0नं0 8054241 की परीक्षा कक्ष सं0 06 में थी। उपरोक्त अभ्यर्थी के स्थान पर सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम खैरा थाना हवेली खड़गपुर जि0 मंगेर बिहार द्वारा परीक्षा दिया जा रहा था। आवेदिका की तहरीर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम खैरा थाना हवेली खड़गपुर जि0 मंगेर बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से फर्जी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, फोटो और ओ0एम0आर0 की छाया प्रति, प्रश्न पत्र की छाया प्रति बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं संजय कुमार पुत्र रामाशंकर ग्राम भरपुरवा पड़रिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के स्थान पर परीक्षा दे रहा हूँ। यह भी बताया की राजीव पुत्र अज्ञात निवासी राजीव पुत्र अज्ञात निवासी रमनकावाद थाना हवेली खड़गपुर जिला मुंगेर बिहार ने कहा कि हम तुम्हे दो लाख रुपया देंगे। तुम्हे संजय जो खलीलाबाद संतकबीरनगर का रहने वाला है उसके बदले में परीक्षा देनी है। तीस हजार रुपया मेरे फोन पे पर कल दिनांक 17.02.2024 को भेज दिया। मै हाजीपुर से ट्रेन पकड़कर ग्वालियर बरौनी से खलीलाबाद आया, खलीलाबाद स्टेशन पर पहुंचने बाद संजय मुझे परीक्षा केन्द्र पर ले गया तथा गेट पर अपना प्रवेश पत्र, आधार कार्ड व अपना फोटो देकर अन्दर भेज दिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. सौरभ शर्मा पुत्र उमेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम खैरा थाना हवेली खड़गपुर जि0 मंगेर, बिहार

बरामदगी-

फर्जी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, फोटो और ओ0एम0आर0 की छाया प्रति, प्रश्न पत्र की छाया प्रति

पंजीकृत अभियोग-मु0अ0सं0 130/2024 धारा 419/420/467/468/471/120बी भादवि व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अधिनियम 1998

जनपद - संतकबीरनगर** **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनाँक 19.02.2024

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में अपनी बहन के स्थान पर पेपर देने आयी अभियुक्ता व उसकी अभ्यर्थी बहन को किया गया गिरफ्तार

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***डा0 के0 एस0 प्रताप कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा में अपनी बहन के स्थान पर पेपर देने आयी अभियुक्ता व उसकी अभ्यर्थी बहन को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.02.2024 को आवेदक श्री राकेश कुमार अग्रहरी परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य कुड़ीलाल रूगंटा सरस्वती विद्यामंदिर इण्टर कालेज खलीलाबाद – संत कबीर नगर द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद में लिखित तहरीर दी गयी कि उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदो पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा द्वितीय पाली की परीक्षा में कुड़ीलाल रूगंटा सरस्वती विद्यामंदिर इण्टर कालेज खलीलाबाद में निधि त्रिपाठी पुत्री अनिल त्रिपाठी निवासी सिगरा मऊ पोस्ट परपरवा हैंसर हरदो थाना हैसर(धनघटा) जनपद सन्त कबीर नगर रो0नं0 8058567 की परीक्षा कक्ष सं0 20 में थी। उपरोक्त अभ्यर्थी निधि त्रिपाठी के स्थान पर उसकी सगी बहन रुचि त्रिपाठी पुत्री अनिल त्रिपाठी निवासी सिगरा मऊ पोस्ट परपरवा हैंसर हरदो थाना हैसर(धनघटा) जनपद सन्त कबीर नगर पेपर देने आयी थी। आवेदक की तहरीर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्ता रूचि त्रिपाठी पुत्री अनिल त्रिपाठी निवासी सिगरा मऊ पोस्ट परपरवा हैंसर हरदो थाना हैसर(धनघटा) जनपद सन्त कबीर नगर व उसकी अभ्यर्थी बहन निधि त्रिपाठी पुत्री अनिल त्रिपाठी निवासी सिगरा मऊ पोस्ट बरपरवा हैंसर हरदो थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर को आज दिनांक 19.02.2024 समय 07.30 बजे गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागण-

01. रूचि त्रिपाठी पुत्री अनिल त्रिपाठी निवासी सिगरा मऊ पोस्ट परपरवा हैंसर हरदो थाना हैसर (धनघटा) जनपद सन्त कबीर नगर।

02. निधि त्रिपाठी पुत्री अनिल त्रिपाठी निवासी सिगरा मऊ पोस्ट बरपरवा हैंसर हरदो थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 129/2024 धारा 417/419/120बी भादवि व 6/10 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अधिनियम 1998

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 19.02.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने, धमकी देने व दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास व 61000/- रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 19.02.2024 को ***ए0पी0जे0 पाक्सो कोर्ट जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना मेहदावल* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/13 धारा 363, 366, 376, 504, 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता धर्मेन्द्र पुत्र चन्द्रभान निवासी ग्राम नौदरी थाना मेहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को धारा 363, 366, 376, 506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट भादवि के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 61000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।